<u>न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप. विविध जमानत आवेदन सं. **334/2026**</u>

<u>सी.आई.एस. नंबर **317/2026**</u>

नानूराम उर्फ कालू पुत्र हरिबक्सू उर्फ बक्सूलाल, उम्र 25 साल, निवासी महुआखोह, पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **598/2025** पुलिस थाना **कोतवाली झालावाड**
अपराध अंतर्गत **धारा 303(2) बी.एन.एस.**
आप. प्रक. सर/**नानूराम उर्फ कालू**
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड।

<u>उपस्थित</u>

1. श्री प्रवीण पोसवाल, चीफलीगल एंड डिफेंस काउंसिल झालावाड, प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 27.05.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483B.N.S.S.** में प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.09.2025 को परिवादी भोजराज ने उपस्थित पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 22.09.2025 को वह उसके रिश्तेदार बदेसिंह को ईलाज हेतु डॉ. राम पाटीदार के घर पर मोटरसाईकिल संख्या एम.पी.39 एम.टी.8156 से लेकर आया था तथा मोटरसाईकिल डॉ. राम पाटीदार के मकान के

बाहर खड़ी कर अन्दर चला गया। दस मिनट बाद आकर उसने मोटरसाईकिल को देखा तो मोटरसाईकिल वहां नहीं मिली। मोटरसाईकिल का कोई पता नहीं चला। इत्यादि। इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में बाद अनुसंधान विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना-पत्र के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। बाद जमानत प्रार्थी के भागने, फरार होने अथवा गवाहान को डराने-धमकाने का अंदेशा नहीं है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। प्रार्थी काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में बाद अनुसंधान चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ेने का निवेदन किया।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 303(2) भा.न्या.सं.** के आरोप में बाद अनुसंधान चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली बहस चार्ज हेतु नियत है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 08 प्रकरण पंजीबद्ध होना बताए गए है परंतु प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व दोषसिद्धि का कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त **दिनांक 18.02.2026** से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

7. अतः उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से **विद्वान विचारण न्यायालय** के संतोषप्रद **50,000/-रूपये** का स्वयं का **बंधपत्र** व **25,000-25,000/-रूपये** की **दो जमानतें** प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें तो प्रार्थी/अभियुक्त को **इस प्रकरण** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे। आदेश की प्रति जरिए **ईमेल** संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावे।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक **27.05.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

आप.वि.जमानत आवेदन संख्या **334/2026**
नानूराम उर्फ कालू बनाम राज.राज्य

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(अब्दुल माजिद)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोट: यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।